राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

आयुक्त कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(168)स्था/आकाशि/2010/पार्ट/591 दिनॉक: 12 अक्टूबर, 2010

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु।

राज्य के कतिपय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने के बावजूद विद्यार्थियों की अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि नियमित रूप से पदस्थापित व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन व्यवस्था पूरी नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय विकास समिति के द्वारा 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं से *"250/– रूपये प्रति कालांश मानदेय की दर पर"* भुगतान व्यवस्था के आधार पर अध्यापन व्यवस्था की जावे। सेवा निवृत व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व मानदण्ड *(संलग्न परिशिष्ठ "अ")* रखने वाले व्यक्तियों से भी अध्यापन व्यवस्था निम्नांकित शर्तो के अधीन कराई जावें:–

(1) आवश्यकतानुसार महाविद्यालय विकास समिति स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर विषयवार सेवानिवृत अथवा बेरोजगार व्यक्तियों का पैनल बनाकर वरियतानुसार अध्यापन व्यवस्था करायें। सेवानिवृत व्यक्तियों की उपलब्धता नहीं होने पर ही बेरोजगार योग्यताधारी व्यक्तियों की सेवाऐं प्राप्त की जावें।

(2) एक दिवस में एक व्यक्ति अधिकतम 04 कालांश में अध्यापन करा सकते है परन्तु एक कलैण्डर माह में अधिकतम 60 कालांश पढा सकते है।

(3) पूर्णतया अस्थायी तौर पर यह व्यवस्था दिनॉक 30.04.2011 तक या नियमित व्याख्याताओं के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, के लिए लागू होगी।

(4) अध्यापन के लिए चयनित व्यक्ति की सेवाओं का मानदेय महाविद्यालय विकास समिति द्वारा देय होगा तथा प्रतिमाह समाप्ति के पश्चात वेतन मद से आहरण कर महाविद्यालय विकास समिति को पुनर्भरण किया जा सकेगा।

(5) मानदेय पर सेवा निवृत या अन्य योग्यताधारी व्यक्तियों की सेवाऐं अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति द्वारा ही अध्यापन हेतु ली जावेगी। महाविद्यालय में प्रतिमाह अध्यापन हेतु रखे गये व्यक्तियों व उनके द्वारा पढाये गये कालांश विषयवार तथा भुगतान की गई राशि का प्रतिमाह विवरण आयुक्तालय को प्रेषित किया जावें।

यह आदेश वित्त (व्यय–I) विभाग की आई.डी. संख्या 151000756 दिनॉक 04.10.2010 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

(के.आर. सिलोलिया)
आयुक्त

परिशिष्ट "A"

अर्हताएं

I आवेदक सम्बन्धित विषय में भारतीय विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विदेशी विश्वविद्यालय से उसके समकक्ष उपाधि के साथ NET/SLET & SET पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

II अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

(के.आर. सिलोलिया)
आयुक्त

राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

<u>आयुक्त कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकःएफ1(168)स्था/आकाशि/2010/पार्ट/593 दिनॉकः 14 अक्टूबर, 2010

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु।

आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ1(168)स्था/आकाशि/2010/पार्ट/591 दिनॉकः 12 अक्टूबर, 2010 के क्रम में आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में महाविद्यालयों में रिक्त पदो के कारण आवश्यकतानुसार अध्यापन व्यवस्था बनाये रखने हेतु सिर्फ सेवा निवृत प्राचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याताओं की ही सेवाऐं *मानदेय पर* प्राप्त की जावे। अन्य व्यक्तियों की सेवाऐं आगामी आदेश तक प्राप्त नहीं की जावे।

(के.आर. सिलोलिया)
आयुक्त